निर्णय बइजलास के. आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला राजसमन्द राज0

प्र0 सं0 326/2016 प्रार्थना पत्र **निर्णय दिनांक 23.08.2018**

अनवान

1. श्री गोपीलाल पिता महाराम जी जाति गुर्जर आयु 44 वर्ष निवासी देवगढ तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री प्रभुलाल पिता जगु जी जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी देवगढ तह0 देवगढ जिला राजसमन्द

—प्रार्थीगण

(विरुद्ध)

1. श्री हिरालाल पिता श्री मांगीलाल जी जाति सालवी आयु बालिग निवासी देवगढ तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री मुल सिंह पिता श्री वाघ सिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी उपर का भवरीया तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
3. श्री गोरधनसिह पिता श्री मानसिह जी जाति राजपुत आयु बालिग निवासी नीचे का भवरीया तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
4. श्री पोखर पिता श्री तेजा जी जाति कलाल आयु बालिग निवासी सोपरी तह0 देवगढ जिला राजसमन्द
5. श्रीमीन तहसीलदार साहब तह0 देवगढ जिला राजसमन्द

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट एव धारा 111, व 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम देवगढ पटवार सर्कल देवगढ तह0 देवगढ जिला राजसमन्द की सीमा मे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि खाता न. 310 खसरा नं0 3019/42 रकबा 19 बिघा 06 विस्वा भूमि होकर स्थित है। जिसके प्रमाण मे चालु जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी इस प्रार्थना पत्र के साथ मे प्रस्तुत है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजियात खसरा नं0 3019/42 रकबा 19 बिघा 6 विस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा श्री पुनमचन्द पिता वरदीचन्द जी महाजन से जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2013 से खरीदा साथ ही खसरा नं0 3019/42 रकबा 19 बिघा 06 विस्वा का 1/2 हिस्सा श्री अम्बालाल पिता मागीलाल जी महाजन जरीये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 26.12.2012 को खरीदा जिससे कुलिया आराजी खसरा नं0 3019/42 रकबा 19 बिघा 6 विस्वा भूमि जरीये नामान्तरण स0 4308 व 4363 के द्वारा प्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकोर्ड हो गई। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पुर्व खातेदारो के कब्जे अनुसार एव खरीद से अपनी सीमा एव कब्जे अनुसार काबिज है। राजस्व नक्से मे खसरा नं0 3019 मे कोइ भाग तरमीम नही था परन्तु प्रार्थीगण के

रकबा 125 बिघा 10 विस्वा भूमि का बटवारा आपसी खातेदारो के मध्य होने पर नियम विरूद्ध तरीके से होने से मुझ प्रार्थी की भूमि जो मोके पर काबिज थी वह नकसा ट्रेस मे काट छाट कर मनमकसुद तरीके से परिवर्तन कर दिया गया। एव मौके पर पुर्व मे दर्ज पेमाईस सुदा ट्रेस नक्से मे परिवर्तन कर दिया गया। जब कि वास्तव मे मुझ प्रार्थी की भूमि रकबा 19 बिघा 6 विस्वा भूमि का नक्सा पुर्वरत बना हुआ था। एव राजस्व भूप्रबन्ध अधिकारी (सेटलमेन्ट ऑफीसर द्वारा) सन 2010 –2011 मे मुझ प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि का नक्सा खसरा नं0 3019/42 का नये खसरा नं0 3209, 3214, 3215 कुल रकबा 19 बिघा 6 विस्वा भूमि दर्ज होकर मोकं पर काबिज थी परन्तु वर्तमान मे मनमकसुद तरीके से नक्से मे काट छाट कर दी गई जिससे मुझ प्रार्थी एव विपक्षी की भूमि से सीमा विवाद उत्पन हो गया। प्रार्थीगण व विपक्षीगण की जमीन पास पास मे होकर मिली हुई है जमीन की सीमा के सम्बन्ध मे हर वक्त विवाद बना रहता है। फसल काटते व बुआई के समय पाली वगेरा विवाद बना रहता हैं और इस समस्या का स्थाई समाधान प्रार्थीगण की उक्त जमीनो की पत्थरगढी कराने से ही हल हो सकता है। प्रार्थी को विपक्षीगण का भी यही कहना है कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढी करा लो और पत्थर गढी से तुम्हारी जमीन की जो सीमा कायम होगी उससे हम लोग पाबन्द रहेगे जिससे भी प्रार्थी को अपनी उक्त जमीनो की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थना पत्र मे खाते की नकल प्रस्तुत की गई हैं प्राथी उपरोक्त दर्शायी आराजियात की पत्थरगढी चाहता है साथ ही प्रार्थी अपनी भूमि जो वर्तमान नक्से मे काट छाट कर तरमीम से हटा दी गई है मोके पर हिस्से व कब्जे अनुसार नक्से मे तरमीम किये जाकर नक्से मे ईन्द्राज किया जाना भी आवश्यक है मै प्रार्थी अपनी भूमि पर जो 19 बिघा 06 विस्वा भूमि है उस पर पुर्व के कब्जे अनुसार कायम हो। इस प्रार्थना पत्र का कारण अन्त मे दि0 25.11.2016 को स्थान ग्राम देवगढ पटवार सर्कल देवगढ तह0 देवगढ मे प्राथीगण की उक्त जमीनो की सीमा सम्बन्धी विपक्षीगण द्वारा विवाद करने से ग्राम देवगढ तह0 देवगढ मे पैदा हुआ है प्रकरण पत्थरगढी व इन्द्राज दुरस्जी का होकर नियत कोर्टफिस पर सादर प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर हो विपक्षीगण को समन नोटीस जारी किये गये विपक्षीगण सं0 4 कि और एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपि प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाये गये प्रार्थी कि और से उक्त वाद ग्रस्त भुमि के नक्शे सम्बधित रिकोर्ड एव मौके कि स्थिती मगाये जाने का प्रार्थना पत्र प्ररस्तुत किया गया । भु–निरक्षक देवगढ द्वारा प्रस्तुत हुई । प्रस्तुत किये गई रेकोर्ड व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व विपक्षी के अधिवक्ता कि बहस सुनी गई । पुर्व के जमाबंदी एव नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है की तहसीलदार देवगढ द्वारा प्रार्थीगण कि भुमि मे गलत रूप से काट फास कर प्रार्थीगण कि भुमि नक्शे सें हटा दि गई । विपक्षी का आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम देवगढ पटवार सर्कल देवगढ तह0 देवगढ जिला राजसमन्द की सीमा मे

प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि खाता न. 310 खसरा नं0 3019/42 रकबा 19 बिघा 06 विस्वा भूमि विस्वा भूमि मे जो पुर्व के नक्शे एव मौके पर कब्जे अनुसार जहा प्रार्थीगण काबिज हे वह भुमि प्रार्थीगण के नक्से मे ईन्द्राज दुरस्ती करते हुए तरमीम कि जाने का आदेश दिया जाता हे एव साथ ही माफिक कब्जे व नक्से अनुसार भुमि कि पत्थर गढी किये जाने का आदेश दिये जाते है । पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे । पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को राजस्व न्यायालय देवगढ मे सुनाया गया। ।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर देवगढ